Vol 1 Issue 5 Nov. 2011 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

Golden Research Thoughts
Volume 1, Issue. 5, Nov. 2011
ISSN:-2231-5063
Available online at www.aygrt.isrj.net

ORIGINAL ARTICLE

साझा सरकार : एक अध्ययन

डॉ. बबली नागर

उज्जैन

सारांश :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में साझा सरकार की अवधारणा और साझा सरका बनने कके कारणों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तावना :

साझा सरकार के अस्तित्व पर दृष्टिपात किया जाए तो यह व्यवस्था हमें भारत में ही नही वरन् कई वर्ष पूर्व विश्व के कइ राष्ट्रों में देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ पश्चिमी जर्मनी, चतुर्थ गणतंत्र फ्रांस में, इंग्लैण्ड में भी कुछ समय को साझा सरकार अस्तित्व में आई थी। श्रीलंका की शासन व्यवस्था में भी हम साझा सरकार को पाते हैं, यदि हम भारत में साझा सरकार की नींव को देखते हैं तो यह हमें १९३५ के गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट को जो १९२७ में लागू किया गया था, उसमे अंतरिम सरकार निर्माण में मोहम्मद अली जिन्ना साझा सरकार के पक्ष में थे, क्योंकि उनके विचार से साझा सरकार मुसलमानों के साथ न्याय करने का स्वभाविक माध्यम हो सकता था किन्तु कांग्रेस को यह काफी वैचारिक मतभेद के बाद ही मंजूर हो पाया। वर्ष १९४६ में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार कांग्रेस मुस्लिम लीग और हिन्दु महासभा तथा देश के प्रबुद्ध लोगों की साझा सरकार थी। १९५० में संविधान अंगीकार करने के पश्चात् प्रथम साझा सरकार तत्कालीन राज्य पटियाला एण्ड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन (पेप्सू) ने १९५२ में गैर कांग्रेसी दलों ने (अकाली दल व अन्य) ने भी ज्ञान सिंह सरेबाला के नेतृत्व में गठित की थी जो कि मार्च १९५३ तक चल सकी, केरल में तो मात्र एब बार छोड़कर १९५६ से साझा सरकार ही वहां के राजनीतिक दलों व सरकार का पर्याय बन गई।

उड़ीसा में भी १९५९ में डॉ. हरिकृष्ण मेहताब के नेतृत्व में साझा सरकार बनी, पश्चिमी बंगाल में भी ज्योति बसु की साझा सरकार दो दशक से अधिक समय तक रही तदुपरांत हम देखें तो पायेंगे कि भारतीय राजनीति के इतिहास में १९६७ से १९७२ की यह अवधि गठजोड़ व दलबदल की सरकारों से अंकित है।

प्रथम चुनाव के बाद दृष्टिपात करें, तो पायेंगे कि लगभग ६० के दशक के उत्तरार्द्ध तक राष्ट्रीय दल सरकारें बनाया करते थे। तदुपरांत ७० के दशक के उत्तरार्द्ध तक राज्यों के शासन में क्षेत्रीय दल सुदृढ़ तो हो गये परंतु हाँ उस समय केन्द्र में राष्ट्रीय दल सत्ता में थे परंतु कुछ समय पश्चात् क्षेत्रीय दलों ने केन्द्र की सत्ता में भी भागीदारी प्रारंभ कर दी और अब तो केन्द्र में क्षेत्रीय दल सत्ता में हैं और राष्ट्रीय दल बाहर।

१९६७ के चुनाव के पूर्व लगभग शासन की डोर कांग्रेस के हाथों में थी, परंतु १९६७ के चुनाव के पश्चात् भारतीय राजनीति में परिवर्तन प्रारंभ हो गये और गैर कांग्रेसी सरकार का गठन प्रारंभ हो गया। इन चुनावों ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन किया फलस्वरूप संयुक्त सरकार अस्तित्व में आई, परंतु कालान्तर में संयुक्त सरकारें राजीनीतिक अस्थिरता की शिकार हुई, उसके बावजूद वह भारतीय राजनीति में साझा सरकार या गठबंधन की सरकार प्रासंगिक हो गई।

साझा सरकार का अर्थ

संसदीय लोकतन्त्र में सरकारों का गठन दलगत आधार पर बहुमत दल द्वारा होता है और इस प्रकार

जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक निर्वाचन से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के पश्चात् बहुमत प्राप्त दल के नेता को मंत्रीमंडल बनाने के लिये आमंत्रित किया जाता है जिसे समदलीय मंत्रीमंडल कहा जाता है, यदि चुनाव के पश्चात् किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राजीनीतिक दल संगठित होकर बहुमत का निर्माण तथा मंत्रीमंडल का गठन करते हैं। ऐसी सरकार को साझा सरकार, मिली जुली सरकार या गठबंधन सरकार कहा जाता है। घटक दल साझा सरकार से पृथक अस्तित्व बना के रखता है। वे कभी भी मंत्रीमंडलीय सरकार से अलग हो सकते हैं कोई दल यह भी कर सकता है कि वह बाह्य समर्थन दे तथा मंत्रीमंडल में सम्मिलित न हो निर्वाचन से पहले मौन या प्रकट या चुनावी गठबंधन या राजकीय समस्याओं के समय सामान्य समस्याओं के हित में गठबंधन साझा सरकारों के रूप है।

सामान्यतः साझा सरकार बनने के कारणों पर यदि रोशन डाली जावे तो अनेक ऐसे कारण उभरकर आवेंगे जिससे साझा सरकार बनाने की स्थिति निर्मित हुई है जैसे कि सुदृढ़ नेतृत्व का अभाव, क्षेत्रीय दल जनमानस की बदलती सोच, राजनीतिक चेतना आदि हैं।

साझा सरकार बनने के कारण

1.सशक्त नेतृत्व का अभाव

सशक्त नेतृत्व का अभाव- किसी भी राजनैतिक दल के संचालन हेतु एक व्यक्ति पर कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो कि नीति निर्माण और संचालन का कार्य करता है। नेतृत्व का गुण वह है जिसके कारण बहुतायत क्योंकि उस नेतृत्वकर्ता के आदेश का न सिर्फ पालन करते हैं वरन् सम्मान भी करते हैं।

लोकतंत्र के सफल संचालन में इस कुशल नेतृत्व की अहम भूमिका रही। आजादी के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व फिर लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व ने न सिर्फ अपने दलों को कुशल नेतृत्व से एकजुट रखा वरन राष्ट्र को भी इनके कुशल नेतृत्व ने न सिर्फ अपने दलों को कुशल नेतृत्व से गौरवान्वित यिका।

भारतीय लोकतंत्र की यह विसंगति ही रही कि समय के साथ यहां पर राजनीतिक दलों के पास सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव सा दिखने लगा। कुछ दलों में ऐसा लगा मानों नेतृत्व है ही नहीं और कुछ दलों में एक से अधिक नेता स्वयं को सर्वप्रमुख साबित करने की कोशिश करते नज़र आये। दोनों ही स्थितियाँ सरकार के मार्ग में रूकावट प्रतीत हुई और परिणाम असंतुष्टों द्वारा बहुतायत में दल-बदल की प्रवृत्ति एक दल के विधान के बाद नये दलों का उदय और सत्ता प्राप्ति हेतु किसी भी किस्म के समझौते करने को आतुर यह असंतुष्ट नेतागण।

इस प्रकार सशक्त नेतृत्व के अभाव ने साझा सरकार की प्रवृत्ति को बनाया।

2.केन्द्र व राज्य में मतभेद

केन्द्र व राज्यों की सरकारों की नीति भेद भी साझा सरकार के जन्म का प्रमुख कारण बनी जैसे कि कांग्रेस ने सम्पन्नता या विकास की दृष्टि से राज्यों में भेद किया और जनमानस का यह मानना था कि उसने एक ही राज्य के एक हिस्से के प्रचुर विकास किया तो दूसरे हिस्से को छुआ भी नहीं, यही कारण था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विकास कम हुआ।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आदर्श स्वरूप द्विदलीय व्यवस्था होता है। उक्त आदर्श स्वरूप अमेरिका, ब्रिटेन जैसे सम्पन्न देशों में तो मिलता है किन्तु तृतीय विश्व के १९५० के आसपास आजाद हुए देशों में इस प्रकार का स्वरूप हम बिरला ही पाते हैं। भारती की आजादी की लड़ाई में शामिल अधिकांश नेता कांग्रेस पार्टी के झंडे तले एक हुए थे। अतः स्वभाविक था कि आजादी की पश्चात् भी कांग्रेस का प्रभुत्व देखने को मिलता है। आजादी के पश्चात् के प्रथम चार चुनाव में केन्द्र तथा राज्य दोनों ही जगह एक या दो अपवाद को छोड़ हम बाकी जगह कांग्रेस का ही प्रभुत्व पाते हैं और इस समयावधि में अन्य दल का प्रभुत्व प्रायः लुप्त ही रहा है।

१९६७ में पहली बार ९ राज्यों में एक साथ कांग्रेस ही हार हुई और असंगठित विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिये संगठित हुआ और संयुक्त विधायक दल के रूप में संयुक्त सरकार अस्तित्व में आई। इसके पश्चात् कांग्रेस के समान्नतर ही भारतीय जनता पाटी, जनता दल व संगठित वामपंथ दल अस्तित्व में आये और हमने देखा कि मिली जुली सरकार की श्रृंखला ही बन गई। सशक्त विपक्ष के अभाव में अनेक अवसरों पर ऐसा हुआ कि कुछ पार्टिया जोड़-तोड़ की राजनीति के द्वारा सत्ता में नजर आने लगी। जयललिता के ए.आई.ए.डी.एम.के. मायावती की बहुजन समाज पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की आवामी लीग, अजीतसिंह की किसान पार्टी आदि अनेक पार्टियां सदैव ही सत्ता में आने लगी किन्तु आज दिनांक तक भी हमें संगठित विपक्ष के दर्शन नहीं होते हैं, चाहे फिर विपक्ष वह कांग्रेस का संगठित दल हो या भारतीय जनता पार्टी का। अगर भविष्य में भारतीय लोकसभा में साझा सरकार को ऐसी नियति के रूप में स्वीकारना हो तो राजनीति पंडितों को सशक्त विपक्ष को मजबूती प्रदान करना होगी।

3.जनमानस की बदलती सोच

भारत जब आजाद हुआ उस दौरान अंग्रेजी शासन व्यवस्था हमारे लिये एक आदर्श व्यवस्था थी। १८८३ का रेगुलेटिंग एक्अ १७८४ पिट्स इंण्डिया एक्ट से प्रारम्भ हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास क्रमशः १८५८ में महारानी की घोषणा, १९०९ का मार्ले मिंटो सुधार, १९१९ का मान्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, १९३५ का भारतीय शासन अधिनियम तथा १९४६ का केबिनेट मिशन आदि के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था की हमें आद हो चली थी।

अंग्रेजों ने चाहे भारतीयों का कितना ही आर्थिक व सामाजिक शोषण किया हो किन्तु कहीं न कहीं भारत का एकीकरण तथा भारतीय प्रजातन्त्र की नींव डाली।

आजादी के संघर्ष के दौरान संपूर्ण कार्य कांग्रेस पार्टी द्वारा किये गये, अतः स्वाभाविक था कि वे सत्ता में आये और यह हुआ भी। आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना यह था कि जैसे ही कांग्रेस की नीति से जनता विमुख होती वैसे ही कोई अन्य दल शासन की सत्ता संभालता, पर ऐसा हुआ नहीं और परिणामस्वरूप बिखरा जनमत और विभिन्न दलों का उदय और अब यह आवश्यकता बन गई कि अगर सत्ता में काबिज होना है तो एक से अधिक दलों को मिलकर सत्ता पानी होगी और ऐसा हुआ भी। विभिन्न दलों के समय, बेसमय पर बने कभी अच्छे या कभी बेमेल से बने, इस गठबंधन जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और बेचारा आम जन किसी आदर्श गठबंधन की तलाश में अपना मानस बदलते रहे, बदल रहे है किंतु आदर्श गठबंधन कहीं भी कमजोर नहीं आते हैं।

4.क्षेत्रीय दल

आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्र तथा राज्य की राजनीति दो अलग-अलग तत्वों द्वारा संचालित होती है तथा होनी भी चाहिये। राष्ट्र के महत्वपूर्ण तत्वों से जुड़ी केन्द्रीय राजनीति व क्षेत्रों से जुड़ी हुई क्षेत्रीय राजनीति भारत में १९४९, १९५९ तथा कुछ हद तक १९७० के दशक में भी एक दल विशेष ही भारतीय राजनीति में चहुं ओर छाया रहा तथा अन्य दल उपेक्षित ही रहे किन्तु आखिर यह सब लंबे समय तक कैसे चल सकता था। ज्यों-ज्यों आमजन की सोच व समझ बढ़ती गई त्यों-त्यों उन्हें महसूस होता गया कि उनके क्षेत्र विशेष की अवहेलना की जाती रही है। सत्ता लोलुप क्षेत्रीय राजनीतिज्ञों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इससे उचित अन्य कोई अवसर न पाया और परिणाम अनेकानेक दलों का गठन हुआ जैसे असम में असम गण परिषद, तेलंगाना में तेलंगाना पाटी, मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट, तमिलनाडु में डी.एम.के. और ए. आई.ए.डी.एम.के., उत्तर प्रदेश में समाजवादी पाटी और बहुजन समाज पार्टी, बिहार में झारखण्ड पार्टी आदि अनेक क्षेत्रिय दलों का उदय हुआ और अल्प समय में अपनी शक्ति की इन्होंने काफी वृद्धि की। कई राज्यों में ये दल सत्ता पर काबिज हुए। कई स्थानों पर नए राज्यों की उत्पत्ति का कारक बने (छत्तीसगढ़, झारखण्ड, असम) राज्यों में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के उपरांत केन्द्र में भी ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे और पिछले पन्द्रह सालों से यह केन्द्र में भी सत्ता का अभिन्न हिस्सा बने।

5.राजनीतिक चेतना

मिली-जुली सरकारें बनने में राजनैतिक चेतना भी अतिमहत्वपूर्ण कारक है। अब यह प्रश्न स्वयं ही उठकर सामने आता है कि जब साझा सरकारें अस्तित्व में नहीं थी तब क्या राजनीतिक चेतना नहीं थी किन्तु ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जिस तरह से भौतिक जगत का विकास होता है। उसी तरह मानव मन व मस्तिष्क का भी सतत् विकास होता है। विकास के जिस दौर में आज हम है, वह ५० साल पूर्व के भारत से भिन्न अधिक विकसित और आने वाले ५० वर्षों में हम विकास के किसी ऐसे स्तर को पा लेंगे तो शायद आज के स्तर से सर्वथा भिन्न हो।

जैसे-जैसे आमजन में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ लोगों को यह महसूस होने लगा कि क्या कांग्रेस प्रभुत्व वाली सशक्त सरकारें उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है और अमूनन जनता ने नकारात्मक उत्तर ही पाया। अब आखिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो, इस आशा में एक तरफ लोगों का झुकाव क्षेत्रीय दलों की तरफ गया तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पाटी की बढ़ती शक्ति को वह पूरी तरह नजर अंदाज नहीं कर सकी। इन कारकों से जहां आमजन का झुकाव कांग्रेस से दूर हुआ वहीं कोई अन्य मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था न पाकर उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार का मतदान किया और परिणाम वृहद राष्ट्रीय दलों का राज्यों में जनाधार सिकुड़ने लगा और वहीं तुलनात्मक क्षेत्रीय दलों का राष्ट्र व्यापी विस्तार होने लगा। उक्त समस्त कार्यवाही इशारा कर रही थी कि भारतीय राजनीति व्यवस्था एक बड़े परिवर्तन के दौर में गुजर रही है और वह बड़ा परिवर्तन और कुछ नहीं मिली-जुली सरकार ही था। राजनीतिक चेतना ने मिली-जुली सरकार बनाने में अहम् भूमिका निभाई।

6.सशक्त नेतृत्व का अभाव

अब्राहम लिंकन ने लोकतन्त्र की बहुत ही उत्कृष्ट परिभाषा दी है- ''लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है।''

आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये यह एक आदर्श लोकतांत्रिक परिभाषा कही जा सकती है किन्तु भारत जैसे विशेष परिस्थिति वाले लोकतांत्रिक राष्ट्र में हम इसे सर्वथा उचित नहीं पाते भारत के केन्द्र अथवा राज्य कही की भी राजनीति का अध्ययन करें क्या उक्त परिभाषा अक्षरशः असत्य प्रतीत होती है। आखिर कौन सा राज्य है जहां पर जनता का शासन है, कौन से प्रांत में जनता द्वारा शासन है और किस स्थान पर जनता के लिये शासन है। यहां पर छोटा सा उदाहरण बड़ी ही समुचित प्रतीत होता है। माननीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सशक्त बहुमत वाली कांग्रेस सरकार मध्यप्रदेश में थी उसी दौरान मध्य प्रदेश में विद्युत का बड़ा संकट सामने आया। ऐसा नहीं कि संकट को सहने की आदत आम जन में नहीं है किन्तु माननीय मुख्यमंत्रीजी ने विद्युत कटौती के मनमाने घंटे निर्धारित किये अगर शहर में आठ घंटे विद्युत कटौती करना है तो उसका एक सर्वमान्य अर्थ यह होता है कि आप दो या तीन किश्तों में विद्युल कटौती करें, पर हुआ इसका एकदम विपरीत ही विद्युत कटौती के घंटे कुछ इस प्रकार थे कि शाम पांच से छः, दस से बारह, रात चार से पांच अर्थात् कोई व्यक्ति चाह कर भी दो घंटे की नींद आराम से न निकाल पाए, अब आप ही बताए की लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा कहाँ रहा।

7.चमत्कारी नेतृत्व

भारतीय लोकतंत्र की एक विशिष्ट व्यवस्था एक चमत्कारी नेतृत्व है। प्रारंभिक भारतीय राजनीति में तिलक, गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय आदि से लेकर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, जयललिता, करूणानिधि, लालू प्रसाद यादव, ज्योति बसु, चन्द्रबाबू नायडू आदि अनेक चमत्कारी नेतृत्व वाले व्यक्तियों ने केन्द्र व राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र विशेष का सर्वमान्य नेता रहा किन्तु राष्ट्रीय राजनीति व राज्यों की राजनीति दो भिन्न राजनीति होती है। इनमें से अटलबिहारी वाजपेयी को छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जिन्हें चमत्कारी नेतृत्व की संज्ञा दी जा सके। जहां तक वाजपेयी जी का सवाल है वह भी अपने राजनैतिक जीवन के ढलान पर है। केन्द्र की राजनीति में चमत्कारी नेतृत्व का सर्वथा अभाव हो गया है। राज्यों की स्थिति दूसरी है। वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर अनेक चमत्कारी नेतृत्व उपलब्ध है और यही कारण है कि भारत के अधिकांश राज्यों में जहां स्थाई सरकारें है, वहीं केन्द्रीय स्तर पर सर्वमान्य नेता के अभाव के कारण केन्द्र में अस्पष्ट बहुमत और मिली-जुली सरकारें अस्तित्व में आ रही हैं।

8.परिवर्तित मतदान व्यवहार

म्तदान व्यवहार आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का एक नया विचार है। मतदान व्यवहार से अभिप्राय यह है कि किस प्रकार आम जन मतदान करेगा, पूर्व के वर्षों में जब गठबंधन सरकारें अस्तित्व में नहीं थी। सामान्यतः मतदान राष्ट्रीय दल और उसकी नीति को देखकर किया जाता था और वास्तविकता तो यह है कि नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी इस प्रकार के नेता थे कि समस्त मतदान व्यवहार इनके आभा मंडल को देखकर ही किया जाता था। १९८० के दशक से मतदान व्यवहार में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। अब केन्द्र तथा राज्यों में दलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप कुल मतदान का औसतन ३०-३५ प्रतिशत वोट पाने वाले प्रत्याशी भी विजय होने लगा। अब अपनी ही पार्टी के वोट काटने वाले प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी किसी प्रत्याशी को हराने के लिये खड़ा उकिया गया डमी प्रत्याशी तथा धर्म के आधार पर मतदान व्यवहार जैसे नये विचार राजनीति में आये और इसकी चरम अभिव्यक्ति मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के वक्तव्य में से होती है। जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतना एक मैनेजमेंट है। इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है। वो तो अच्छा रहा कि वे उस चुनाव को जीत नहीं पाये अन्यथा भारतीय चुनाव एक मैनेजमेंट बनकर ही रह जाते।

कश्यप, गुप्त तथा प्रेम भसीन के शब्दों में-

Pariamentary Government and Coalitations do not go together.

(Prem Bhasin)

संयुक्त सरकार राजनीतिक सदस्यों अथवा शक्तियों के गठजोड़ है जो अस्थायी तथा कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिये होता है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग उन राजनीतिक दलों के संदर्भ में होता है जो संसदीय या निर्वाचनीय प्रयोजनों के लिये आपस में मिल जाते है। संसदीय शासन प्रथा में राजनीतिक दलों का संघ

सरकारों का निर्माण करने अथवा उनकी रक्षा करने के लिये बनाया जाता है। जिन दलों के सहयोग के फलस्वरूप संयुक्त सरकारों का निर्माण होता है वे एक बुनियादी राजनीतिक कार्यक्रम के ऊपर एकमत होती है।

(कश्यप तथा गुप्त)

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

१.निर्वाचन आयोग रिपोर्ट (वेबसाईट) लोकसभा चुनाव वर्ष १९८९, १९९६, १९९७।
२.इंडिया टुडे, नई दिल्ली, १० मई १९९९, पृ.४-८।
३.Mazid Akhtar- Coalition Politics and Power Sharing, p.179.
४.Mazid Akhtar- Coalition Politics and Power Sharing, p.187.
५.Ronald Ragowsky, Rational Legitimary P.105-6, Princeton 1974.
६.दैनिक नईदुनिया, इन्दौर, दिनांक २१ मई १९९८, पृ.१।
७.नागपाल, ओम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, शासन और राजनीति, कमल प्रकाशन, इन्दौर, पृ.१४९।
८.दैनिक नईदुनिया इन्दौर, दिनांक १८ फरवरी, १९९८, पृ.१।
९.Coalition Politics and Power Sharing, p.84.
१०.Samuel S. Bacharach and Edward J. Lawler Power and Plitics in Organization- The Social Psychology of Conflict Coalition and Barganing, p.3, California, 1980.
११.Michael Lieserson, Game Theory and the Study of Coalition Behavior, in Groennings (Ed) p.256.
१२.B. Bhattacharya, The U.F. and the left in Bengal, in Coalition Government in India, Op. Cit. p.290.
१३.Wiliam, H. Riker- The Theory of Political Coalition p.32, Oxford and IBH, 1962.
१४.Tagore Soumendra Nath, The People's Front or Front Against the people, see against the stream, Vol. 2, p.10, Calcutta, 1984.
१५.William H. Riker- The Theory of Political Coalition p.36, Oxford and IBH, 1962.
१६.Seven Groennings et al (ed.) The Study of Coalition Behavior p.7, Halt Rinehart and Winston Inc, 1970.
१७.Micheal Lieserson, Game Theory and the study of Coalition Behavior, In Groennings (ed.) p.264.
१८ण्क्ंअपक भ्ंतकपउंदए जेम प्दकपंद थ्बजपवद पदै नइंसजमतदै जनकपमेए टवसण् ए च्ण्२०३.१३ण्
१९.Marcus Franda Political Development and Political Decay in Bengal, p.7, Orient Longman, 1970.
२०.नागपाल ओम- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, शासन और राजनीति, कमल प्रकाशन, इन्दौर, पृ.१५१।
२१.डॉ. सत्या एम. राय- भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद- हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ.५७९।
२२.फडिया, बी.एल. एवं जैन पुखराज- भारतीय शासन और राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, पृ.४५९।
२३.भारतीय राजव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ.डी-५ से डी-१०।
२४.N.C. Sahni, Coalition Politics in India (New Academic Publishing Company, Jalandhar, 1971) p.29.
२५.H.S. Deol, Analysis of Political Elite in Pubjab with Special Reference to the Legislature Ph.D. Thesis (Chandigarh, Punjab University, 1979).
२६.काश्यप सुभाष, हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट इंण्डिया, नई दिल्ली, पृ.३३।
२७.काश्यप सुभाष, हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट इंण्डिया, नई दिल्ली, पृ.१०।
२८.डॉ. सत्या एम. राय- भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद- हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली

विश्वविद्यालय, पृ.१५६-१६१।
२६.डॉ. सत्या एम. राय- भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद- हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ.१८५-१६०।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org